

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

पत्र संख्या-06/निबंधन-01-13/2025 - 983

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी।
सभी मोटरयान निरीक्षक।

पटना, दिनांक :- 04/02/2025

विषय :- INTERGLOBE ENERGY PRIVATE LIMITED. के उत्पाद मॉडल का निबंधन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक INTERGLOBE ENERGY PRIVATE LIMITED. के द्वारा उनके उत्पाद मॉडल के संबंध में प्रस्तुत केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत प्राधिकृत जाँच एजेन्सी -National Automotive Test Tracks (NATRAX) द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की अभिप्रायित छायाप्रति एवं अन्य कागजात के आधार पर निम्न उत्पाद मॉडल का बिहार राज्य में विक्रय के प्रयोजनार्थ एकीकृत निबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

Sl. No	Base Model	Variants	T.A.Certificate/ Date	Types of Vehicle	Price
1	AF-ECO ROGER LX	-----	NATB 0455/11.12.2024	Special purpose Battery operated vehicle/ Pure Electric Vehicle	Rs. 1,68,000/-

- निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली-1989 के नियम-126 एवं 127 के अन्तर्गत प्रपत्र-22 में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम-93 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना होगा। इस नियमावली के नियम 33 से 46 का अनुपालन करेंगे।
- वाहन का प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है, निबंधन भी उसी प्रकार के वाहन का होगा।
- इसके साथ रोड वर्थीनेस प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियमावली के नियम के अनुपालन का प्रतिवेदन/जाँच प्रतिवेदन/मार्ग निर्देशन वाहन डीलर द्वारा संलग्न किया जायेगा।
- किसी भी परिस्थिति में कम्पनी के नये प्रोडक्ट का निबंधन राज्य परिवहन आयुक्त का आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व नहीं किया जायेगा। बिना आदेश के यदि निबंधन किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही आपकी होगी।
- जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन विक्रेता के पंजियों की नियमित जाँच करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम-1994 की धारा-6 के अधीन कर की वसूली सुनिश्चित करेंगे तथा ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन के निबंधन के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि डीलर का ट्रेड प्रमाण पत्र वैध हो।
- बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 6 शेड्यूल-III के अनुरूप प्रत्येक वाहन के लिए निर्धारित व्यापार कर की दर से निबंधन के समय भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- संबंधित Model का बिक्री मूल्य कम्प्यूटर में दर्ज करेंगे।
- निर्माता कंपनी उक्त मॉडलों/वैरियंट के संबंध में COP छः माह के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
- वाहन-4.0 के होमोलोगेशन पोर्टल पर मॉडल/वैरियंट/वास्तविक विक्रय राशि, जो विभाग को उपलब्ध कराये गये कीमत के अनुरूप हो एवं अन्य सूचना अंकित कराने का दायित्व कंपनी का होगा। उक्त सूचना पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में एकीकृत निबंधन की स्वीकृति की अनुमति रद्द मानी जाएगी।
- मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 41 (6) के परंतुक एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-42 के आलोक में वाहन के विक्रेता द्वारा क्रेता को किसी नये वाहन की सुपुर्दगी बिना HSRP के नहीं की जायेगी।
- माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी भी न्यायिक आदेश से यह प्रभावित होगा।

विश्वसभाजन

31-25
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

पत्र संख्या-06/निबंधन-01-13/2025

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी।
सभी मोटरयान निरीक्षक।

पटना, दिनांक :-

विषय :- INTERGLOBE ENERGY PRIVATE LIMITED. के उत्पाद मॉडल का निबंधन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक INTERGLOBE ENERGY PRIVATE LIMITED. के द्वारा उनके उत्पाद मॉडल के संबंध में प्रस्तुत केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत प्राधिकृत जाँच एजेन्सी -National Automotive Test Tracks (NATRAX) द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं अन्य कागजात के आधार पर निम्न उत्पाद मॉडल का बिहार राज्य में विक्रय के प्रयोजनार्थ एकीकृत निबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

Sl. No	Base Model	Variants	T.A.Certificate/ Date	Types of Vehicle	Price
1	AF-ECO ROGER LX	-----	NATB 0455/11.12.2024	Special purpose Battery operated vehicle/ Pure Electric Vehicle	Rs. 1,68,000/-

- निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली-1989 के नियम-126 एवं 127 के अन्तर्गत प्रपत्र-22 में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम-93 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना होगा। इस नियमावली के नियम 33 से 46 का अनुपालन करेंगे।
- वाहन का प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है, निबंधन भी उसी प्रकार के वाहन का होगा।
- इसके साथ रोड वर्थीनेस प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियमावली के नियम के अनुपालन का प्रतिवेदन/जाँच प्रतिवेदन/मार्ग निर्देशन वाहन डीलर द्वारा संलग्न किया जायेगा।
- किसी भी परिस्थिति में कम्पनी के नये प्रोडक्ट का निबंधन राज्य परिवहन आयुक्त का आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व नहीं किया जायेगा। बिना आदेश के यदि निबंधन किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही आपकी होगी।
- जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन विक्रेता के पंजियों की नियमित जाँच करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम-1994 की धारा-6 के अधीन कर की वसूली सुनिश्चित करेंगे तथा ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन के निबंधन के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि डीलर का ट्रेड प्रमाण पत्र वैध हो।
- बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 6 शेड्यूल-III के अनुरूप प्रत्येक वाहन के लिए निर्धारित व्यापार कर की दर से निबंधन के समय भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- संबंधित Model का बिक्री मूल्य कम्प्यूटर में दर्ज करेंगे।
- निर्माता कंपनी उक्त मॉडलों/वैरियंट के संबंध में COP छः माह के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
- वाहन-4.0 के होमोलोगेशन पोर्टल पर मॉडल/वैरियंट/वास्तविक विक्रय राशि, जो विभाग को उपलब्ध कराये गये कीमत के अनुरूप हो एवं अन्य सूचना अंकित कराने का दायित्व कंपनी का होगा। उक्त सूचना पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में एकीकृत निबंधन की स्वीकृति की अनुमति रद्द मानी जाएगी।
- मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 41 (6) के परंतुक एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-42 के आलोक में वाहन के विक्रेता द्वारा क्रेता को किसी नये वाहन की सुपुर्दगी बिना HSRP के नहीं की जायेगी।
- माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी भी न्यायिक आदेश से यह प्रभावित होगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- Authorised Signatory : INTERGLOBE ENERGY PRIVATE LIMITED., Plot No.-87, Hall No. 04 GF And Hall No. 06,07, 1st Floor, HSIIDC Industrial Estate, Sector-16, Bahadurgarh, Jhahhar, Haryana, 124507 को सूचनार्थ प्रेषित।

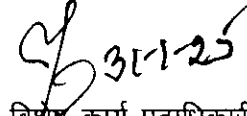
ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 983

पटना, दिनांक :- 04/02/2025

प्रतिलिपि :- State Informatic Officer, NIC, Patna को Vahan Software में प्रविष्टि करने/I.T. Manager, परिवहन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।